प्रेस प्रकाशनी

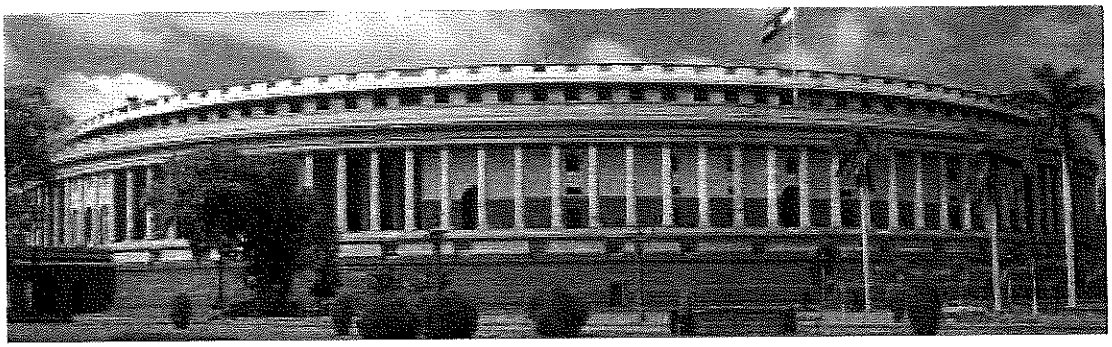

16-03-2021

खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य तथा कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के सभापति ने 16 मार्च, 2021 को खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के संबंध में समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें निम्नवत हैः-

<u>जीएसआई को वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान पर बजटीय आवंटन में बढोतरी की सिफारिश की गई</u>	समिति ने नोट किया है कि जीएसआई को वर्ष 2021-22 के दौरान, मात्र 1181.58 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है और उसको ब.अ. 2019-20 और ब.अ. 2020-21 में क्रमशः 1322.93 करोड़ रुपये और 1349.98 करोड़ रुपयों की तुलना में कम कर दिया है। समिति, को यह बताया गया है कि जीएसआई ने विवेकपूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध व्यय को प्राथमिकता देते हुए और परिचालन संबंधी कार्य निष्पादन के लिए सभी शीर्षों मे बजटीय अनुदान का आवंटन किया है ताकि वित्त वर्ष 2021-22 के वास्तविक लक्ष्यों को उपलब्ध निधि से प्राप्त किया जा सके। समिति, राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक जानकारी के सृजन और अद्यतन करने और खनिज संसाधनों के आंकलन में जीएसआई की महत्वपूर्ण भूमिका और कार्यों और देश की आर्थिक वृद्धि में इसके योगदान को देखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में

	रखते हुए कि जीएसआई ने अपनी विभिन्न गतिविधियों को जारी रखने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में 1421.06 करोड़ रुपये की मांग की है, समिति ने सिफारिश की है कि वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों में धन का विवेकपूर्ण उपयोग हो तो जीएसआई के आवंटन को संशोधित अनुमान 2021-22 में आवश्यक स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। समिति को इस संबंध में मंत्रालय/जीएसआई द्वारा उठाए गए कदमों से भी अवगत कराया जाए। **(सिफारिश सं.-3)**
<u>खान मंत्रालय/एनएमईटी से एनएमईटी निधियों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कहा गया</u>।	समिति को यह बताया गया है कि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) बजट का उपयोग विभिन्न अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों (एनईए) द्वारा कार्यान्वित की गई एनएमईटी द्वारा वित्तपोषित अन्वेषण परियोजनाओं के कार्य की प्रगति पर निर्भर करता है। जीएसआई द्वारा किए जा रहे बेसलाईन भूविज्ञान सर्वेक्षण कार्य के अलावा, अन्य अन्वेषण एजेंसियां यथा-एमईसीएल, एनएमडीसी लि., केआईओसीएल लि., डीएमजी कार्यालयो, टीएसएमडीसी इत्यादि भी एनएमईटी द्वारा वित्तपोषित अन्वेषण परियोजनाएं चला रहे हैं। तथापि, समिति ने वर्ष 2019-20 के दौरान एनएमईटी निधियों के कम उपयोग को नोट किया है, जहां क्रमशः 150 करोड़ रुपये और 110 करोड़ रुपये के ब.अ. और सं.अ. की तुलना में केवल 68.31 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, क्रमशः 150 करोड़ रुपये और 90 करोड़ रुपये के ब.अ. और सं.अ. की तुलना में 31 जनवरी, 2021 तक केवल 66.07 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। समिति ने व्यय में कमी के कारण, वर्ष 2020-21 के दौरान एनएमईटी निधियों के कम उपयोग को समझा है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण अन्वेषण कार्य प्रभावित हुआ था। राष्ट्रीय हवाई भूभौतिकी मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी) परियोजना, चरण-तीन (ब्लॉक- 9 से 12) के संबंध में, कोविड-19 महामारी के कारण, कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसके अलावा, मुकदमेबाजी के कारण, अंतरराष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा हवाई सर्वेक्षण नहीं किये जा सके, जिसके कारण जीएसआई की हवाई भूभौतिकी सर्वेक्षण परियोजना के चरण-दो (ब्लॉक 5 से 8) का कार्य शुरू नहीं किया जा सका। तथापि, मंत्रालय ने आशा की थी

	कि वर्ष 2020-21 में कम किए गए आवंटन का उपयोग कर लिया जाएगा। समिति, चाहती है कि उसे वर्ष 2020-21 के दौरान, एनएमईटी निधियों के वास्तविक उपयोग से अवगत कराया जाए। समिति ने यह भी नोट किया है कि ब.अ., 2019-20 और ब.अ., 2020-21 के 150 करोड़ रुपये की तुलना में ब.अ., 2021-22 को कम करके 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। समिति को बताया गया है कि यह कोविड-19 महामारी की अनिश्चितता तथा कोविड के कारण उन्नत भूविज्ञान परियोजनाओं से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की गतिशीलता में सीमाओं के मद्देनजर किया गया। अन्वेषण परियोजनाओं के लिए एनएमईटी निधियों से जुड़े महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति यह सिफारिश की कि वर्ष 2021-22 के दौरान, 100 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु खान मंत्रालय/एनएमईटी द्वारा पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किए जाएं और इससे समिति को अवगत कराया जाए। **(सिफारिश सं. 6 और 7)**
<u>पीएमकेकेकेवाई दिशा निर्देशों में संशोधन के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन लाने के संबंध में हुई प्रगति संबंधी जानकारी मांगी गई।</u>	समिति ने यह नोट किया है कि वर्तमान में राज्य सरकारों को जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना संबंधी निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। समिति को यह बताया गया है कि खान मंत्रालय ने डीएमएफ की संरचना तथा कार्यकलापों के संबंध मे राज्य सरकारों को निदेश जारी करने हेतु केन्द्र सरकार को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए 13.01.2021 को एक केबिनेट नोट प्रस्तुत किया है और डीएमएफ से संबंधित उपबंधों के लिए, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन लाने हेतु आगामी संसद सत्र में एक विधेयक लाया जाए। जैसा कि बताया गया है, ज्यों ही अधिनियम को संशोधित किया जाता है, मौजूदा पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाएगा। समिति चाहती है कि उसे समय-समय पर उपर्युक्त केबिनेट नोट की स्थिति की जानकारी दी जाए। **(सिफारिश सं. 8)**
<u>कंपनी के विकास हेतु एचसीएल द्वारा योजनागत परिव्यय के इष्टतम</u>	समिति ने नोट किया है कि वर्ष 2019-20 के दौरान, 600 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान के मुकाबले एचसीएल केवल 452.96 करोड़ रुपये ही व्यय कर पाया क्योंकि इसके संशोधित अनुमान स्तर पर विस्तार परियोजनाओं के अंतर्गत 402.00

<u>उपयोग की आवश्यकता व्यक्त की गई।</u>	करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया और उक्त राशि को भी खान विस्तार संबंधी कुछ निविदाओं को प्रदान करने में हुए विलंब की वजह से व्यय नहीं किया जा सका। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान 600 करोड़ रुपये के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान के मुकाबले, दिसम्बर, 2020 तक वास्तविक व्यय केवल 283.13 करोड़ रुपये रहा और मार्च, 2021 तक 360 करोड़ रुपये के संभावित व्यय होने की संभावना है। निधियों के संभावित कम उपयोग के कारण हैं- भूमिगत और ओपन कास्ट खानों में प्रचालन को कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन हेतु सभी केपेक्स परियोजनाओं के संचालन को बंद और धीमा किया जाना; खान विकास हेतु संविदा, एमसीपी भूमिगत खान से उत्पादन ड्रिलिंग तथा अयस्क उत्पादन को कोविड-19 के कारण ठेकेदार द्वारा संसाधनों/उपस्करों के संग्रहण को रोके जाने की वजह से शुरू नहीं किया जा सका; सुर्दा खान की पर्यावरण मंजूरी मिलने में विलंब, सुर्दा खान के लक्षित केपेक्स व्यय को पूरा नहीं किया जा सका इत्यादि। अब, वर्ष 2021-22 के लिए 350 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय (ब.अ.) निर्धारित किया गया है। समिति को बताया गया है कि कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए, एचसीएल ने इस तरह के कैपेक्स पर फोकस करने की योजना बनाई है जोकि त्वरित उत्पादन करेगी और राजस्व सृजन में सहायता करेगी और उन विकास कार्यों को जारी रखेगी जोकि आने वाले समय में उत्पादन को बनाए रखने के लिए अपेक्षित है। कंपनी के विकास के लिए एचसीएल द्वारा उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करते हुए, समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि वर्ष 2021-22 के दौरान 350 करोड़ रु. के योजना परिव्यय के इष्टतम उपयोग की दिशा में ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। **(सिफारिश सं. 10)**
<u>वर्ष 2021-22 के दौरान नालको द्वारा लक्षित केपेक्स की इष्टतम उपलब्धि की संभावना व्यक्त की गई।</u>	समिति ने 2020-21 के दौरान, नालको के निष्पादन पर संतोष व्यक्त किया है क्योंकि 1012.21 करोड़ रु. के योजनागत परिव्यय के प्रति, कंपनी ने जनवरी 2021 तक रु. 856 करोड़ (84.57%) की कैपेक्स प्राप्त की है और विश्वास दिलाया है कि मार्च 2021 तक अनुमोदित पूंजीगत योजना परिव्यय के 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार, 2020-21 के दौरान, निधियों के कम उपयोग के कारण कोई भी परियोजनाएं/योजनाएँ प्रभावित नहीं होंगी। समिति को सूचित किया गया है कि प्रत्येक परियोजनाओं की प्रगति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-22 हेतु 1500 करोड़ रु. की अनुमानित निधियाँ विभिन्न चल रही परियोजनाओं की

	आवश्यकता पर आधारित है और इसलिए यह पर्याप्त होगी। जैसा कि बताया गया है कि नालको ने निधियों के समुचित उपयोग और 2021-22 के दौरान विभिन्न चल रही योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कई उपाय किए हैं जिसमें विभिन्न चल रही परियोजनाओं की टेंडरिंग और निष्पादन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित टीमों का गठन, निविदाओं का प्रास्थगन, टेंडरिंग के लिए समय निर्धारित करना, मूल्यांकन करना और अनुबंध प्रदान करना आदि शामिल हैं। समिति ने आशा की है कि नालको 2021-22 के दौरान लक्षित कैपेक्स को प्राप्त करने के लिए वर्तमान उपायों को और अधिक तत्परतापूर्वक और बेहतर ढंग से लागू करेगा। **(सिफारिश सं. 11)**